

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास श्रीमति सुनिता यादव, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

बालू पिता घीसा माली निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– वादी

बनाम

- 1-4 रामधन, सत्यनारायण, मु. इन्द्रा, मु. ललिता पिता राजू जाट निवासी बालापुरा ग्राम पंचायत माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
- 5- मु. अलोली पत्नी राजू जाट निवासी बालापुरा ग्राम पंचायत माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
- 6- हरनाथ पिता धूकल जाट निवासी बालापुरा ग्राम पंचायत माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
- 7- मगना पिता धूकल जाट निवासी बालापुरा ग्राम पंचायत माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
- 8- शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 9- शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 10- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा व कब्जेयाबी

मुकदमा नम्बर 14 सन् 2019 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है।
डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादीगण अदम हजारी अदम पैरवी खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 22 माह 11 सन् 2022 को जारी की गई।



(सुनिता यादव)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)